न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं.135/2021
सीसीएमएस : 2021/294

1. कृष्णलाल पुत्र श्री बुधराम जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान.। —:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट,

तारीख रजू:— 22.07.2021

उपस्थितः 1. श्री धनराज बिश्नोई अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

दिनांक :—24.12.2024

——निर्णय——

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 32 एनपी तसहील रायसिंहनगर के खाता संख्या 30 मु.न. 83 पं.नं. 200/309 में 1.581 है. नहरी मय खाला भूमि व इसी चक के खाता संख्या 34 मु.न. 18 पं.नं. 198/304 में 1.518 है. नहरी भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस पर वादी को हक—हकूक प्राप्त है। राजस्व रिकार्ड के चक 32 एनपी के चक मु.नं. 83 पं.नं. 200/309 में वादी का नाम किशनलाल पुत्र बुधराम सहवन से दर्ज हो गया था जबकि वादी की अन्य भूमि राजस्व रिकार्ड के मु.नं. 18 पं.नं. 198/304 मे सही नाम कृष्णलाल है व वादी के नाम सस्मत पहचान के दस्तावेज पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि सभी में वादी का नाम कृष्णलाल दर्ज है। वादी को उक्त भूमि मु.नं. 83 पं.नं. 200/309 पर लोन व अन्य सरकारी सहायता व योजना का लाभ लेने में अड़चन पैदा हो रही है, इसलिए वादी का नाम किशनलाल की जगह कृष्णलाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। समस्त पहचान के दस्तावेज में वादी का नाम कृष्णलाल दर्ज है, किशनलाल के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है किशनलाल ही कृष्णलाल है। वादी ने अपना नाम बदलने के लिए सक्षम अधिकरी को निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये तो ही रिकार्ड मे तब्दीली करेंगें। इसलिए वादी को वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार में है उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न प्रकार से डिक्री करने की कृपा करे। कि चक 32 एनपी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 30 मु.नं. 83 पं.नं. 200/309 में कुल 1.581 है. नहरी मय खाला भूमि में मुझ वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में किशनलाल नाम को दुरुस्त कर कृष्णलाल करने के आदेश दिये जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार की तरफ से राजपैरोकार नायबतहसीलदार समेजाकोठी ने जवाब दावा पेश कर अंकित किया है कि वाद में वादी के जमाबंदी संवत 2074—2077 की प्रमाणित प्रति में दर्ज नाम किशनलाल पुत्र बुधराम हिस्सा पूर्ण जाति बिश्नोई साकिन 32 एनपी खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रायसिंहनगर अंकित है जो पूर्व के रिकार्ड में कब से चला आ रहा है कोई रिकार्ड का साक्ष्य वाद में अंकित नहीं किया हैं जवाब दावा शामिल मिसल किया गया।

3. प्रतिवादी की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2021/2333 दिनांक 15.12.2021 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 32 एनपी पं.नं. 200/309 मु.नं. 83 के कि.नं. 7 ता 10 प्रत्येक 0.253, 11/1 [illegible] 12/2 में 0.127 है., 13/1 में 0.126, 14/2 में 0.127, 15/3 में 0.063 है. कुल [illegible] नहरी मय खाला भूमि किशनलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई सा[illegible] शाखा रायसिंहनगर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। इसी प्रकार चक 32 एनपी के [illegible] 198/304 मु.नं. 18 कि.नं. 16/0.253, 17/1 में 0.025, 21/0.228, 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 कुल 1.518 है. नहरी कृषि भूमि कृष्णलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन [illegible] खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी आवेदन पत्र के अनुसार चक 32 एनपी के मु.नं. 83 में अपना नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

किशनलाल के स्थान पर कृष्णलाल करवाना चाहता है। साक्ष्य के तौर पर प्रार्थी ने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें नाम कृष्णलाल पुत्र बुधराम साकिन 11 टीके दर्ज है। चक 32 एनपी के खाता संख्या 34 मे नाम कृष्णलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके दर्ज है।

मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी किशनलाल की जगह कृष्णलाल करवाना चाहता है वादी के समस्त दस्तावेज कृष्णलाल के नाम से है किशनलाल व कृष्णलाल एक व्यक्ति है। वादी का अन्य राजस्व रिकार्ड व समस्त पहचान के दस्तावेज में कृष्णलाल नाम है अतः चक 32 एनपी के मु.नं0 83 पं.नं. 200/309 मे दर्ज किशनलाल पुत्र बुधराम की जगइ कृष्णलाल पुत्र बुधराम किया जावे।

5. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा पटवार हल्का, तहसील रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के चक 32 एनपी के मु.नं. 83 पं.नं. 200/309 में अंकित नाम किशनलाल पुत्र बुधराम के स्थान पर किशनलाल उर्फ कृष्णलाल पुत्र बुधराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकनील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड
अधिकारी रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड
अधिकारी रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:04 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं.135 / 2021
जीसीएमएस : 2021 / 294

2. कृष्णलाल पुत्र श्री बुधराम जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान.।

–:वादी

बनाम

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट,

–: निर्णय :–

दिनांक:–~~05.01.2021~~ 24.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री धनराज बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण, राजपैरोकार सरकार प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि –वाद वादी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 32 एनपी के मु.नं. 83 पं.नं. 200 / 309 में अंकित नाम किशनलाल पुत्र बुधराम के स्थान पर किशनलाल उर्फ कृष्णलाल पुत्र बुधराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

डिक्री आज दिनांक 24.12.2024 को जारी की गई।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

क्रमांक / रीडर / 25 /

दिनांक:–

प्रतिलिपि:– तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:04 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner